



राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०  
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण- सूडा उ.प्र.)

7/23, सेक्टर-7, निकट यू०पी० 100, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ 226010  
E-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org



**कार्यालय-ज्ञाप**

DAY-NULM के घटक SUH के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन आश्रय गृहों के संचालन हेतु संस्थाओं के चयन हेतु प्रकाशित ई-निविदा सं०-429/241/एनयूएलएम/तीन/2001 (SUH) O&M दिनांक 04.05.2018 के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का प्रथम चरण के किये गये तकनीकी मूल्यांकन में निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण किये जाने के उपरान्त प्रस्तुतीकरण हेतु अर्ह किया जायेगा।

- नीचे दी गयी तालिका 01 में उल्लिखित 68 संस्थाएं, ई-निविदा के प्राविधानों/प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों यथा विगत तीन वर्षों की बैलेंसशीट, रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र/नवीनीकरण प्रमाण-पत्र, पैन नम्बर 12ए, 80जी, अनुभव के सम्बन्ध में अनुबन्ध/कार्यादेशों एवं इस निविदा के सम्बन्ध में संस्था के प्रस्ताव की मूल प्रतियों के साथ उपस्थित होकर अभिलेखों का सत्यापन/मिलान मिशन निदेशालय सूडा उ०प्र० में दिनांक 16.10.2018 तक प्रत्येक दशा में करा लें। संस्था प्रतिनिधियों द्वारा सत्यापन के समय उल्लिखित सभी अभिलेखों की स्व प्रमाणित एक-एक प्रति भी उपलब्ध कराया जाना होगा।
- अभिलेखों के सत्यापन के उपरान्त निविदा प्रावधानों के अनुसार अभिलेख सही पाये जाने पर प्रस्तुतीकरण हेतु तिथि एवं समय के अनुसार दिनांक 17.10.2018 को प्रस्तुतीकरण हेतु अन्तिम रूप से अर्ह संस्थाओं की सूची सूडा वेबसाइट www.sudaup.org पर अपलोड कर दी जायेगी, तदनुसार संस्थाओं को दिनांक 20.10.2018 एवं 21.10.2018 को प्रातः 10:30 बजे से प्रस्तुतीकरण हेतु सूडा उ०प्र०, 7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार (निकट डायल 100 आफिस), लखनऊ में उपस्थित होकर निविदा प्रावधानों के अनुसार निम्न बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण करना होगा :-
  - Understanding of Scope for work and way forward
  - Past Similar Experience (Two Projects)
  - Approach and Methodology
- संस्थाओं द्वारा 4-5 स्लाइड में Power Point प्रस्तुतीकरण प्रमुख सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृत समिति के समक्ष किया जायेगा। प्रत्येक संस्था को उल्लिखित तीन बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण हेतु 10 मिनट का समय दिया जायेगा।
- संस्थाओं को प्रस्तुतीकरण से पूर्व प्रस्तुतीकरण की दो हार्ड प्रतियां एवं प्रस्तुतीकरण की साफ्ट पी०डी०एफ० प्रति संस्था के नाम से पेन ड्राइव के माध्यम से मिशन निदेशालय में प्रस्तुतीकरण से 02 घंटे पूर्व उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। संस्था द्वारा दिया जाने वाला PDF प्रस्तुतीकरण मिशन निदेशालय के लैपटाप पर अपलोड कर दिया जायेगा तथा संस्था को आवंटित किये जाने वाले समय पर संस्था के प्रतिनिधि/अधिकृत प्राधिकारी को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण करना होगा।
- इस प्रकार उपरोक्त बिन्दुओं के अनुपालन की शर्त के साथ निम्नलिखित संस्थाओं को दिनांक 20.10.2018 एवं 21.10.2018 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनन्तिम रूप से अर्ह किया जाता है :-

S.No	Name of the Organizations/NGO's
1	ADARSH JAN KALYAN EVAM SHIKSHA SAMITI
2	ADARSH SEVA SAMITI
3	ALMADINA FOUNDATION

4. 8

S.No	Name of the Organizations/NGO's
4	ASHARFI GRAMODHYOG SANSTHAN
5	AZIZ ISLAMIYA PUBLIC SCHOOL SAMITY
6	BAHUDDSHIYA GRAMUDYOG VIKAS SAMITI
7	DWARIKA PRASAD JAN KALYAN SAMITI
8	FAIRDEAL GRAMODYOG SEWA SAMITI
9	GANGA
10	GRAMIN UDAYAMITA SANSTHAN
11	GRAMIN VIKAS EVAM SAMAJIK SEVA SANSTHAN
12	GRAMIN VIKAS SEWA SANSTHAN
13	GRAMIN VIKASH SANSTHAN
14	HELPAE YOUTH FOUNDATION
15	JAN KALYAN SHIKSHA SAMITI
16	JANHIT SEWA EVAM SHODH SANSTHAN
17	JANHITKARI SEWA SAMITI
18	JANKALYAN SHIKSHA VIKAS SEWA SAMITI
19	JILA JAN KALYAN SAMITI
20	KASHI SAMAJ SHIKSHA VIKAS SANSTHAN
21	KAUSHIK KALA KENDRA
22	MAASHRITA SEWA SANSTHAN
23	MADEEHA EDUCATIONAL WELFARE SOCIETY
24	MAHILA ARTHIK SANSKRITIK EVEM SHEKSHIK VIKASH SANSTHAN
25	MANAV KALYAN AND GRAMIN VIKAS SANSTHAN
26	NATIONAL COMPETATIVE AND TRAINING INSTITUTE
27	OXFORD SHIKSHA PRASAR SANSTHAN
28	PRAGATI PATHGAMINI
29	RADHA KHADI GRAMUDHYOG BUNKAR SEWA SAMITI
30	S.P. GRAMYA VIKAS EVAM GRAMODYOG SANSTHAN
31	SAMAJIK GRAMIN VIKAS SANSTHAN
32	SANKALP VIKAS SAMITI
33	SATNAM KHADI GRAMODYOG SEVA SAMITI
34	SHASHWAT SEWA SANSTHAN
35	SHIKSHA BHARTI
36	SHIVA GRAMODYOG SEWA SANSTHAN
37	SHRI BABA MAUJILAL ADARS VIDHYALAY
38	SHRI BIHARI JI SHIKSHA GRAM VIKAS SANSTHAN
39	SHRI DAYANAND VYAS CHATRAWAS SAMITI
40	SHYAM GRAMODHYOG SANSTHAN
41	UDAAN SOCIETY
42	VIKLANG MAND BUDHI KALYAN SAMITEE
43	WORLD WELFARE SOCIETY
44	HELP U EDUCATIONAL AND CHARITABLE TRUST

*LS*

S.No	Name of the Organizations/NGO's
45	ALL INDIA ASSOCIATION FOR WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
46	RACHNA WOMENS DEVELOPMENT ASSOCIATION
47	SADIK MASIH MEDICAL SOCIAL SERVANT
48	SAFE APPROACH FOR NASCENT TERMINATION OF SOCIAL HAZARD
49	SURNIRMAN EDUCATIONAL AND CULTURAL SOCIETY
50	SURYA CHARITABLE AND WELFARE SOCIETY
51	JYOTI SAMAJIK SEWA SANSTHA
52	ABHIVYAKTI WELFARE SOCIETY
53	ACTION POINT SAMITI
54	ARUNA ASIF ALI FOUNDATION
55	BHARTIYA JANHIT KALYAN SAMITI
56	JAN KALYAN SANSTHAN
57	K.P.RAI SHIKSHA PRASAR SAMITI
58	KISHAN SEWA SANSTHAN
59	MANAV KALYAN AVAM SANSHADHAN VIKAS SAMITI
60	MANAV SEVA SANSTHAN
61	MANAV SEWA SAMITI
62	MANAV VIKAS EVAM SHIKSHA SAMITI
63	MODERN TRAINING INSTITUTE
64	PRERNA GRAMUDYOG SEWA SANSTHAN
65	RAJ SHIKSHA AVAM JAN KALYAN SAMITI
66	RAJSHEE DEVELOPMENT AND RESEARCH SANSTHAN
67	VISHWA VIKAS SANKALP SANSTHAN (VVSS)
68	WITS TECHNOLOGY AND EDUCATIONAL INSTITUTE

6. प्रस्तुतीकरण हेतु दिनांक 17.10.2018 को निर्गत की जाने वाली सूची में सम्मिलित संस्थाओं को प्रस्तुतीकरण से पूर्व रू0 100/- के स्टैम्प पेपर पर शपथ-पत्र संलग्न प्रारूप पर अन्तिम चयन हेतु दिया जाना अपरिहार्य होगा।
7. निम्नलिखित 09 संस्थाओं को निविदा प्राविधानों के अनुसार आवेदन के समय संस्था का पंजीकरण वैध न होने/कतिपय संस्थाओं को सूडा/डूडा के कार्यों से वंचित किये जाने एवं तकनीकी मूल्यांकन में 60 से कम अंक पाये जाने के दृष्टिगत तकनीकी परीक्षण में अनर्ह पाया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

**तालिका-02**

S.No	NGO's Name
1	ASHRAY WELFARE FOUNDATION
2	JANHIT SEWA SANSTHAN
3	RADHA KRISHAN SHIKSHA PRASARNI PARISHAD
4	CHAMPION SEWA SANSTHAN
5	GANGA DEVI SHAIKSHIK SOCIETY
6	GURU KRIPA SEWA SANSTHAN
7	JEEVAN JYOTI SHIKSHAN AVAM JAN KALYAN SIMITI
8	NAVADA GRAMUDHYOG VIKAS SAMITI
9	SAMAGRA JAN KALYAN SAMITI

इस प्रकार तालिका- 02 में उल्लिखित 09 संस्थाओं को सम्यक विचारोपरान्त अनर्ह किया जाता है।



8. बिन्दु सं०-5 तालिका-01 में उल्लिखित संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित अवधि में बिन्दु सं०-1 में उल्लिखित अभिलेखों की स्व प्रमाणित एक प्रति के साथ मूल अभिलेखों से सत्यापन/मिलान मिशन निदेशालय सूडा उ०प्र० में उपस्थित होकर अवश्य करा लें तथा प्रस्तुतीकरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व उल्लिखित औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए अपना प्रस्तुतीकरण करना सुनिश्चित करें। उल्लिखित संस्थाओं में से यदि कोई संस्था निविदा के प्राविधानों के अनुसार अर्हता से सम्बन्धित सभी अभिलेखों का सत्यापन/मिलान मिशन निदेशालय में नहीं करा पाती है/सभी अभिलेखों में से किसी भी एक अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति नहीं उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में उक्त संस्था प्रस्तुतीकरण हेतु अर्ह नहीं होगी तथा उस संस्था को अर्हता सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण चयन हेतु अनर्ह माना जायेगा। अन्तिम रूप से प्रस्तुतीकरण हेतु अर्ह संस्थाओं की सूची दिनांक 17.10.2018 को सूडा के वेबसाइट पर अपलोड कर दी जायेगी, तदनुसार संस्थाओं को दिनांक 20.10.2018 एवं 21.10.2018 को प्रातः 10:30 बजे से सूडा उ०प्र० में प्रस्तुतीकरण करना होगा।

संलग्नक- शपथ पत्र का प्रारूप।

(उमेश प्रताप सिंह)  
मिशन निदेशक

पत्रांक:- 4/33 /241/NULM/तीन/2001(SUH)O&M RFP दिनांक 10/10/2018  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ०प्र० शासन को महोदय के अवगतार्थ।
2. प्रभारी नजारत, सूडा को आवश्यक व्यवस्था हेतु।
3. सम्बन्धित संस्थाओं को अनुपालनार्थ।
4. सहायक वेब मास्टर सूडा को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

  
(उमेश प्रताप सिंह)  
मिशन निदेशक



(रु0 100/- के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र हेतु प्रारूप)

शपथ-पत्र

मैं.....पुत्र श्री .....  
निवासी .....  
..... हूँ। मैं शपथ पूर्वक सत्यनिष्ठा  
पर आधारित निम्नलिखित घोषणा करता हूँ :-

1. यह कि मैं.....संस्था.....  
के नियमावली एवं स्मृतिपत्र के अनुसार संस्था का सचिव/कोषाध्यक्ष.....  
पदाधिकारी हूँ तथा संस्था नियमावली के अनुसार संस्था का अधिकृत प्राधिकारी  
हूँ/संस्था के कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार संस्था के पक्ष में किसी भी  
प्रकार के निर्णय लिए जाने हेतु अधिकृत प्राधिकारी हूँ।
2. यह कि संस्था द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के  
घटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन आश्रय गृहों के  
संचालन हेतु संस्था का चयन किये जाने के लिए प्रकाशित ई-निविदा  
सं0-429/241/एनयूएलएम/तीन/2001(SUH) दिनांक 04.05.2018 में आवेदन  
किया है।
3. यह कि संस्था द्वारा उक्त ई-निविदा आवेदन में प्रस्तुत किये गये सभी अभिलेख पूर्ण  
रूप से सही हैं। संस्था द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेख में किसी भी प्रकार की त्रुटि  
नहीं है।
4. यह कि संस्था के पंजीकरण की वैधता शेल्टर संचालन अवधि में समाप्त होने से पूर्व  
ही नियमानुसार नवीनीकृत कराकर नगरीय निकाय/डूडा एवं सूडा को ससमय  
उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। ससमय पंजीकरण का नवीनीकरण  
न उपलब्ध करा पाने पर नगरीय निकाय/डूडा एवं सूडा को अधिकार होगा कि वह  
संस्था के भुगतान को रोक दे तथा नियमानुसार विधिक कार्यवाही करें।
5. यह कि संस्था के विरुद्ध कोई विधिक वाद, विधिक कार्यवाही, किसी भी न्यायालय में  
विचाराधीन नहीं है तथा संस्था के विरुद्ध किसी भी विभाग/संस्थान द्वारा FIR/जाँच  
आदि की कार्यवाही भी प्रचलित नहीं है।

उपरोक्त कथन पूर्ण रूप से सत्य है तथा इसके लिए मैं पूर्ण रूप से उत्तरदायी  
हूँ।

संस्था के अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नाम-

पदनाम-

संस्था का नाम-

दिनांक-